सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा:.सं . NCST/DEV-3452/JH/38/2024-ESDW-RU-IV दिनांक :22/12/2025

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला - रांची
उपायुक्त कार्यालय,
समाहरणालय भवन,
रांची, झारखंड 834001
Email Id: dc-ran@nic.in

विषय: जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा गैर कानूनी ढंग से जबरन कब्जा करने के संबंध में – श्री सलखन लकड़ा, ग्राम-मलटी , पोस्ट -इंटकी, जिला-रांची (झारखंड) का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय
प्रवीण 22.12.25

(प्रवीण कुमार सिंह)
अवर सचिव
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री सलखन लकड़ा,
ग्राम-मलटी , पोस्ट -इंटकी,
जिला-रांची ,झारखंड- 835301
Mobile No:9304251709

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं.NCST/DEV-3452/JH/38/2024ESDW

अभ्यावेदक श्री सलखन लकड़ा, ग्राम–मलटी, पोस्ट–इंटकी, जिला–रांची (झारखंड) द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन, जिसमें कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा उनकी भूमि पर अवैध एवं जबरन कब्जा किए जाने का आरोप लगाया गया है, के संबंध में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2025 को लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत ।

सिटिंग की तिथि एवं समय : 02.12.2025 को अपराह्न **04 :10** बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। के अनुसार

आवेदक श्री सलखन लकड़ा, ग्राम–मलटी, जिला–राँची (झारखंड) निवासी, द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनकी पैतृक भूमि—खाता संख्या 234, प्लॉट संख्या 53, कुल क्षेत्रफल 75 डिसमिल—पर स्थानीय दबंग व्यक्तियों एवं दलालों, यथा येशु बेलरा, साकिर अंसारी एवं उनके सहयोगियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। आवेदक के कथनानुसार, उपर्युक्त व्यक्तियों ने उनके परिवार के कुछ सदस्यों को बहला-फुसलाकर भूमि वापसी के नाम पर अंगूठा/हस्ताक्षर भी करा लिए। इस संबंध में आवेदक द्वारा पुलिस, कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत की गईं, परंतु आरोपितों के प्रभाव एवं भय के कारण कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। फलतः आवेदक ने अवैध कब्जा रोकने, आरोपितों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा उन्हें न्याय प्रदान किए जाने हेतु आयोग से अनुरोध किया है।

2. प्रकरण में तथ्यों की जानकारी हेतु आयोग द्वारा उपायुक्त, जिला-रांची (झारखंड) को दिनांक 27.11.2024 को नोटिस जारी किया गया ।

3. मामले में उपायुक्त , जिला–रांची (झारखंड) द्वारा दिनांक 16.09.2025 को जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, प्रकरण मौजा–मल्टी, थाना सं.–106, खाता सं.–134, प्लॉट सं.–53, कुल 75 डिसमिल भूमि से संबंधित है। अंचल अमीन एवं राजस्व कर्मियों द्वारा की गई स्थल-जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में *बकास्त भुईहरी महतोई* किस्म की दर्ज है तथा पंजी–II में श्री मोकवा उरांव एवं अन्य के नाम प्रविष्ट है। साथ ही, यह भी उल्लेख किया गया है कि इस भूमि पर पूर्व में कोई लगान रसीद निर्गत नहीं पाई गई है।

स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि संबंधित भूमि के एक भाग पर इज़राइल अंसारी, कुर्बान अली, समशेर अंसारी, मोहम्मद समीम अंसारी एवं आबीद अंसारी द्वारा मकान निर्मित कर लिए गए हैं, जबकि शेष भाग पर साकिर अंसारी द्वारा चारदीवारी कर अवैध रूप से कब्जा किया गया है।

आशा लकड़ा

4. मामले की गंभीरता तथा शिकायतकर्ता के निरंतर अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए, दिनांक 02.12.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई । तदनुसार उपायुक्त, जिला-रांची को सिटिंग नोटिस दिनांक 20.11.2025 जारी किया गया । अभ्यावेदक को भी इसकी सूचना दी गई |

इससे पूर्व, दिनांक 18.09.2025 को भी प्रकरण की सुनवाई नियत थी, जिसके संदर्भ में उपायुक्त , राँची द्वारा पत्रांक 3868(4)/विधि, दिनांक 16.09.2025 के माध्यम से दुर्गा पूजा एवं विश्वकर्मा पूजा के कार्यक्रमों के कारण निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने से अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त अनुरोध को आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया।निर्धारित तिथि को संबंधित अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण सिटिंग आयोजित नहीं की जा सकी।

5. सुनवाई के दौरान उपायुक्त , जिला-रांची (झारखंड) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित हुए | अभ्यावेदक भी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे |

6.उपायुक्त, जिला रांची द्वारा आयोग को अवगत कराया गया यह मामला सी.एन.टी. अधिनियम, 1908 (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम) का उल्लंघन प्रतीत होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में सूचित किया गया कि इस प्रकरण में एस.आर.ए. (Settlement Revision Authority)न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

7. सुनवाई के पश्चात निम्नलिखित अनुसंशाएँ की जाती हैं :

(i) आवेदक द्वारा आयोग में दायर शिकायत के परिप्रेक्ष्य में, उपायुक्त, रांची इस प्रकरण में सेटलमेंट पुनरीक्षण प्राधिकारी (SRA) न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया प्रारंभ करवाएँ |

(ii) उक्त संबंध में की गई कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) एक माह के भीतर आयोग को प्रेषित करें ।

आशा लकड़ा
10/12/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-3452/JH/38/2024-ESDW-RU-IV

Sitting to be held on **02.12.2025 at 04.10 P.M-** जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा गैर कानूनी ढंग से जबरन कब्जा करने के संबंध में – **श्री सलखन लकड़ा**, ग्राम मलटी-, पोस्ट इंटकी-,जिला -रांची (झारखंड) का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member'	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Ranchi, Jharkhand**		
1.	DC through VC		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.	Salkhan Lakra		
2.			